

निदेशालय, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाएँ, राजस्थान, जयपुर।

क्रमांक : राजपत्रित/एटी/प02/2017/

दिनांक : /09/2017

—: आदेश :-

जिला कलक्टर नागौर के आदेश क्रमांक 3275 दिनांक 28.07.17 के द्वारा डॉ० किशोर कुमार खींची, क०वि० (गायनी) एवं डॉ० राजेन्द्र कुमार खींचड़, चि०३० राजकीय चिकित्सालय कुचामनसिटी, नागौर के आदेशों की प्रतीक्षारत आदेश को तुरन्त प्रभाव से निरस्त किया जाता है, फलस्वरूप उक्त दोनों चिकित्सक पूर्व की भांति यथावत राजकीय चिकित्सालय कुचामनसिटी, नागौर में कार्यरत रहेंगे।

उक्त आदेश प्रशासनिक स्तर से अनुमोदन के पश्चात जारी किये गये हैं।

निदेशक (जन स्वास्थ्य)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ,
राजस्थान, जयपुर।
दिनांक : /09/2017

क्रमांक : राजपत्रित/एटी/प02/2017/ 312

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री महोदय, राजस्थान जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान जयपुर।
3. जिला कलक्टर नागौर।
4. शासन उप सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप-2), विभाग, राजस्थान, जयपुर।
5. संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ, जोन-संबंधित।
6. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी/प्रमुख चिकित्सा अधिकारी/नियंत्रण अधिकारी, संबंधित।
7. सम्बन्धित चिकित्सकों को पत्रानार्थ।
8. प्रभारी, कम्प्यूटर सर्वर रूम, मुख्यालय को भेजकर लेख है कि उक्त आदेश को विभाग की वेबसाइट/संबंधित की ई-मेल आई.डी. पर डलवाना सुनिश्चित करावे।
9. निजी/आदेश पत्रावली।

निदेशक (जन स्वास्थ्य)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ,
राजस्थान, जयपुर।